

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-494 / 12
संस्थापित दिनांक-10.12.2012
Fillingh no. 235103002242012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- छोटू पुत्र चित्तराम सिहारे उम्र 37 साल निवासी- ग्राम जुगयानो मोहल्ला चंदेरी म0प्र0आरोपी

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 24.11.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 34 आबकारी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 08.12.2012 को समय 8:05 बजे दिल्ली दरबाजा स्टेट बैंक के सामने चंदेरी में अपने अवैध आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी प्लेन मदिरा के 15 क्वाटर विक्रय करने के आशय से रखे पाए गये जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी प्रदीप दीक्षित थाना चंदेरी में प्र. आर. के पद पर दिनांक 08.12.2012 को पदस्थ थे। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली दरबाजे के पास एक सफेद कट्टी में सफेद क्वाटर लिये छोटू सिहारे बेचने जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तत्पश्चात् हेतु मय प्रधान आरक्षक एवं साक्षी मनोज चौबे, संतोष खेरा के दिल्ली दरबाजे पहुँच कर देखा तो स्टेट बैंक के सामने छोटू सिहारे सफेद बोरी लिये मिला, बोरी खोलकर देखी तो उसमें प्लेन मदिरा के 15 क्वाटर मिले तो छोटे सिहारे से मदिरा के क्वाटर रखने एवं क्रय विक्रय का लायसेंस के बारे में पूछा तो न होना बताया, आरोपी का कृत्य धारा 34 आबकारी का पाये जाने से उक्त मदिरा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जप्ती एवं गिरफ्तारी बनाया गया। जुर्म जमानती होने से गिरफ्तार आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर जप्त शुदा मदिरा को वापस थाने आकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— आरोपी को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर अपराध किये जाने से इन्कार किया व विचारण चाहा। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर रंजिशन झुठा फंसाया जाना व्यक्त किया

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

- | | |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.12.2012 को समय 8:05 बजे दिल्ली दरबाजा स्टेट बैंक के सामने चंदेरी में अपने अवैध आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी प्लेन मदिरा के 15 क्वाटर विक्रय करने के आशय से रखे पाए गये जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है ? |
|----|--|

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— एसआई राकेश सिंह अ0सा03 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 08.12.2012 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को प्रदीप दीक्षित दीवान के साथ कस्बा गस्त एवं हाट इंतजाम के लिये गये थे। कस्बा गस्त के दौरान प्रदीप दीवान को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटू सिहारे शराब बेचने के लिये प्लेन क्वाटर रखे हुए है, मुखबिर की सूचना से प्रदीप दीवान जी ने उसे व साक्षी संतोष खैरा एवं मनोज चौबे को बताया, सूचना की तत्पश्चात् हेतु हम लोग दिल्ली दरबाजे के पास स्टेट बैंक के पास पहुँचे जहाँ छोटू सिहारे एक सफेद रंग की कट्टी लिये दिखा जिसे पकड़कर कट्टी खोलकर देखा गया तो उस कट्टी में 15 प्लेन मदिरा के क्वाटर मिले थे, तब दरोगा जी ने उससे क्वाटर रखने व बेचने का लाइसेंस के बारे में पूछा तो उसने लाइसेंस न होना बताया। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि प्रदीप दीवान जी द्वारा उक्त 15 क्वाटर को जप्त कर जप्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा साक्षीगण के समक्ष तैयार किया था और थाने आकर दीवान जी द्वारा प्रकरण की कायमी उपरांत अ0क0 389/12 की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी और विवेचना में उसके द्वारा साक्षी मनोज व संतोष के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे।

06— राकेश सिंह अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि वर्तमान प्रकरण की विवेचना दो अधिकारियों द्वारा की गई है तथा प्रकरण में संलग्न वापसी रोजनामचा सान्हा में रवानगी के समय का उल्लेख नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि वह साक्षी संतोष और मनोज को घटना के पूर्व से नहीं जानता है और साक्षी संतोष एवं मनोज ग्राम फतेहाबाद में रहते हैं। वह नहीं बता सकता यद्यपि उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त साक्षीगण के कथनों में उनके निवास का उल्लेख फतेहाबाद लिखा है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसे उक्त साक्षी ने दिल्ली दरबाजे पर होटल पर चाय पीते हुए मिले थे, किन्तु किसकी होटल पर चाय पी रहे थे उसका नाम नहीं बता सकता, जबकि उक्त साक्षी मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में यह बताता है कि मुखबिर की सूचना

से प्रदीप दीवान द्वारा उसे संतोष व मनोज चौबे को बताया गया था, जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी मनोज एवं संतोष होटल पर चाय पीते हुए मिलने वाली बात व्यक्त करता है।

07— प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी मनोज चौबे अ0सा01 का कहना है कि वह आरोपी को जानता है। वह चंदेरी का रहने वाला है, उसके सामने आरोपी से कोई वस्तु जप्त नहीं हुई और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जप्ती पंचनामा प्र.पी.1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये और उक्त हस्ताक्षर पुलिस वालों ने उसके घर फतेहाबाद आकर करवाये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने साक्षी संतोष खैरा को जो नई बस्ती फतेहाबाद का रहने वाला है, को न जानना व्यक्त किया तथा इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस वाले ने उसे बताया था कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली है कि आरोपी सफेद कट्टी में मदिरा के क्वाटर बेचने जा रहा है।

08— स्वतंत्र साक्षी संतोष खैरा अ0सा02 ने उसके कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी छोटू सिंह को नहीं जानता है और अभियुक्त के संबंध में उसके सामने कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही अभियुक्त से उसके समक्ष कोई वस्तु जप्त हुई और न ही अभियुक्त को उसके समक्ष पकड़ा गया। किन्तु उक्त साक्षी ने प्र.पी.1 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.2 के गिरफ्तारी पंचनामा के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी का कहना है कि जब वह थाने में उसके पड़ोस में हुई घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाने साथ गया था उस समय उसने दीवान जी के कहने पर प्र.पी.1 व प्र.पी.2 पर हस्ताक्षर किये थे और हस्ताक्षर के समय अभियुक्त थाने पर मौजूद नहीं था।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा अभियोजन को शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखने हेतु बारम्बार अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण के किसी भी स्वतंत्र अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा विवेचक राकेश सिंह के कथनों का समर्थन नहीं किया है, इसके अलावा प्रकरण के दोनों साक्षीगण ने एक दुसरे को जानने से भी इंकार किया है एवं उक्त साक्षीगण में से मनोज चौबे ने उसके मुख्य परीक्षण में जप्ती एवं गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर पुलिस द्वारा उसके घर फतेहाबाद आकर हस्ताक्षर करना व्यक्त किया है एवं साक्षी संतोष खैरा अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह थाने में उसके पड़ोस में हुई घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाने गया था तब दीवान जी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करावा लिये थे। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित भी नहीं करवाया गया है तथा जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही करने

वाले अन्य विवेचक प्रदीप कुमार दीक्षित अभियोजन न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

10- ऐसी अवस्था में उपरोक्त अभिलेख पर आई समस्त साक्ष्य से अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि 08.12.2012 को समय 8:05 बजे दिल्ली दरवाजा स्टेट बैंक के सामने चंदेरी में अपने अवैध आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी प्लेन मदिरा के 15 क्वाटर विक्रय करने के आशय से रखे पाए गये जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी छोटू पुत्र चित्तराम सिंहारे उम्र 37 साल निवासी- ग्राम जुगयानो मोहल्ला चंदेरी म0प्र0 को धारा 34 आबकारी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. प्रकरण में जप्तशुदा 15 क्वाटर प्लेन देशी मदिरा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त होना दर्शित नहीं है। अतः जप्तशुदा मदिरा अपील अवधी पश्चात मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0